

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश : नई दिल्ली जिला

पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली

आदेश

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग से हिन्दी कार्यशालाओं राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक विभाग में दिल्ली सरकार द्वारा हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में दिनांक 29.01.2019 को समय दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, जिला नई दिल्ली, पटियाला हाउस न्यायालय में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

आप सभी को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक न्यायालय एवं अनुभागों से आवश्यक रूप से एक अधिकारी/कर्मचारी तयशुदा तारीख एवं समय पर पहुँचकर कार्यशाला में भाग लें। दिल्ली सरकार द्वारा सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों को शब्दकोशों/पुस्तकों का वितरण किया जाएगा।

(पूनम अ. बाम्बा)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश

जिला न्यायालय, नई दिल्ली।

पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली।

संख्या 1792-1956/हिन्दी/पटियाला हाउस/2019

नई दिल्ली, दिनांक 24-01-19

परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

- 1) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय दिल्ली, केन्द्रीय जिला, दिल्ली।
- 2) समस्त न्यायिक अधिकारी, नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली।
- 3) प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), हिन्दी अनुभाग, जिला न्यायालय, केन्द्रीय जिला, दिल्ली।
- 4) समस्त प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/समस्त अनुभागों के अनुभाग प्रभारी, नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली।
- 5) सहायक लेखा अधिकारी, लेखा अनुभाग, नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली।
- 6) प्रभारी हिन्दी अधिकारी, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सातवां तल, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, दिल्ली सचिवालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 7) सचिवालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली।
- 8) प्रभारी सुविधा केन्द्र, नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली।
- 9) शाखा प्रभारी, देख-रेख अनुभाग, नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली, संबंधित उचित व्यवस्था हेतु।
- 10) वेबसाइट समिति, अंग्रेजी/हिन्दी जिला न्यायालय, दिल्ली। (इस अनुरोध सहित कि कृप्या इसे इंटरनेट पर प्रदर्शित करें)

कृप्या ध्यान दें:- 1. समस्त न्यायिक अधिकारियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी कर्मचारियों को इस कार्यशाला में आवश्यक रूप से सम्मिलित होने के लिए अनुमति प्रदान करें।

2. देखरेख शाखा अधिकारी इस संबंध में तयशुदा तारीख पर कार्यशाला में सम्मिलित होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए व्यवस्था बजट अनुसार करवाएँ, जलपान की व्यवस्था हेतु बजट दिल्ली सरकार द्वारा ही दिया जाएगा।

(नमिता अग्रवाल)

नोडल अधिकारी/वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश

हिन्दी कार्यान्वयन समिति, जिला, नई दिल्ली